

SPO, Court Raipur

88/2017

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
गीतादेवी vs जयप्रकाश

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म को लागू
में जारी हुए

10/04/22

बहुसाय उपस्थित।
आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर
है/अवकाश पर है। अतः पेशी इस्तिया होकर
पत्रावली दिनांक 02/04/22 को पेश हो।

चौधरी
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर

02/04/22

पत्रावली पेश हुई।
वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित।
वादी अधिवक्ता को P/F समेत पेश
करने हेतु फ्लिप एवं जमानत देवे
के बावजूद भी, पेशा नहीं किया है।
वैसी स्थिति में वादी का पत्र
कम चेंबर एवं कोर्ट 09 निलत
05 PC के तहत खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमाट
होकर दाखिल हुआ है।

S.P.O.